

फर्द अहकाम


नाम न्यायालय

- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

वादी
केदार
केस संख्या 115/21

बनाम

प्रतिवादीगण
प्रेमराज व अन्य
अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट

क्र सं	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.12.2021	<p>यह दावा वादी की ओर अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजि० होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर समनो की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबंध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वादपत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर समनो की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियाँ एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ-पत्र पेश करें। पत्रावली आगामी 17/01/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर </p> <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा दौरे/अन्य कारणों में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/02/22 को पेश हो।</p>	<p>542 4/1/22 नोटिस जारी</p>
	21/02/2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राचीन कार्यवाही के अन्तर्गत प्रार्थी के द्वारा न्यायालय द्वारा को अकारा क्रमांक के द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर के माध्यम से मई मुम्बई प्रांति पर प्रेषित कर दिया है। अब हमको आपके न्यायालय से कार्य अउत्तरीय नहीं प्राप्त है।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)</p>

आतः प्राणी अधिवक्ता के द्वारा आमात्य भिजा करके
भदोदाय जयपुर के भई मुन्तफिल प्राणना फा प्रसूत
किसे जने के आजार पर यह प्राणना फा खारखीन ही जाने
से खारिज किया जाता है। प्राणनी फेलल बुझा (होकर फर्ज
नम्बर से काम होने पर पारिवल पफटाटा है।

निर्णय आज दिनांक 21/2/22 को करके आमात्य
एवं सरे राजलस दुकाना गमा।


उप सखंड अधिकारी
जयपुर (जिला जयपुर)